Lec-25

Smt. Shanta Singh (1)
Dept of LSW
SNSRKS college, Saharsa

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों को सुलझाने के विभिन्न तंत्र।

(Various Machineries for the settlement of industrial disputes under the industrial disputes Act, 1947)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों की रोकथाम तथा उन्हें सुलझाने के लिए विभिन्न तन्त्रों का व्यवस्था की गई है। यह केन्द्रीय अधिनियम है, लेकिन इसका प्रशासन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों अपने अधिकार क्षेत्र के संबंधित उद्योगों के लिए करती हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित तन्त्रों की स्थापना की गई है —

(sec-3)

(i) कार्यशाला समितियाँ (Works Committees)

यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में 100 या अधिक श्रमिक नियुक्त हों या पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन नियुक्त किये गए हों ऐसे प्रतिष्ठान में नियोक्ता को उपयुक्त सरकार एक कार्य समिति गठित करने की आदेश दे सकती है। कार्यालय समिति में नियोक्ता तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि बराबर-बराबर संख्या में होते हैं। श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का चयन पंजीकृत संघ के परामर्श से करना आवश्यक है, समिति का मुख्य कार्य नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच मैत्री एवं अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए कदम उठाना है तथा दोनों के बीच भाईचारा व सहयोग की भावना का विकास करना है। दिन-प्रतिदिन के असन्तोष का पता लगाना एवं विवाद की नौबत आने पर दोनों पक्षों में समझौता कराने

का प्रयास करना इन समितियों का कार्य होता है।
(Sec. 4)

(ii) सुलह अधिकारी (Conciliation officer)

उपयुक्त सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उचित संख्या में श्रमायुक्त (labour Commissioner) संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक तथा श्रम अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

इनका प्रमुख कार्य समझौता कराना अथवा मध्यस्थता को प्रोत्साहन देना है। समझौता हो जाने की स्थिति में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराकर उसे अपने प्रतिवेदन के साथ सरकार के पास भेजना होता है। समझौता नहीं होने की स्थिति में उन कारणों का उल्लेख करते हुए अपना प्रतिवेदन सरकार के पास देना होता है। सामान्यतः सुलह अधिकारी को अपना प्रतिवेदन सुलह वार्तालाप के प्रारम्भ होने के 14 दिनों के अन्दर उपयुक्त सरकार को देना होता है।

(iii) सुलह बोर्ड (Board of conciliation — see 5)

उपयुक्त सरकार किसी भी औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकती है। सुलह बोर्ड में एक सभापति तथा सम्बन्धित पक्षकारों की ओर से बराबर-बराबर संख्या में प्रतिनिधि नियुक्त किये जायेंगे। सुलह बोर्ड के पास किसी विवाद को निर्देशित करने का अधिकार उपयुक्त सरकार को है। अगर सम्बन्धित दोनों पक्ष किसी विवाद को सुलह बोर्ड के पास भेजने के लिए

Scanned with CamScanner

सरकार के पास आवेदन देते हैं तो सरकार उस विवाद को सुलह बोर्ड के पास भेज देती है। सुलह बोर्ड को अपना कार्य दो महीनों के अन्दर समाप्त कर देना होता है। सुलह बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर सरकार उस समय जारी रहने वाली हड़ताल या तालाबन्दी पर रोक लगा सकती है।

(iv) जाँच न्यायालय (court of inquiry) (See-6)

औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी मामले की जाँच पड़ताल करने के लिए उपयुक्त सरकार जाँच न्यायालय की नियुक्ति कर सकती है। जाँच न्यायालय में एक स्वतंत्र व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। यदि जाँच न्यायालय में दो या अधिक सदस्य हों तो उनमें से एक सभापति नियुक्त किया जायेगा। जाँच न्यायालय को निर्देशित बातों की जाँच करके अपना प्रतिवेदन जाँच प्रारम्भ होने के छः महीने के अन्दर देना होता है। जाँच न्यायालय को दीवानी अदालत के व्यापक अधिकार मिले होते हैं। जाँच न्यायालय के समक्ष विचाराधीन जाँच की अवस्था में श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(a) हड़ताल पर जाने का श्रमिक का अधिकार
(b) तालाबंदी करने का नियोक्ता का अधिकार
(c) नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को पदच्युत करने या अन्य प्रकार से दण्ड देने का अधिकार।

(v) श्रम न्यायालय (Labour court)- (See-7)

औद्योगिक विवाद के निर्णय के लिए उपयुक्त सरकार एक या एक से अधिक श्रम न्यायालय का गठन कर सकती है। श्रम न्यायालय में केवल एक ही व्यक्ति होता है। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश या अध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी

Scanned with CamScanner

भी कहा जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक है।

(a) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो।

(b) कम से कम तीन वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रह चुका हो

(c) भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो।

(d) श्रम न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक सभापति रह चुका हो।

श्रम न्यायालय निम्न लिखित मामलों पर निर्णय दे सकती है—

(1) नियोजक के आदेशों के औचित्य और उनकी वैधता

(2) स्थायी आदेशों का अर्थ एवं प्रभावशीलता

(3) हड़ताल एवं तालाबन्दी की वैधता के मामले

(4) सेवा मुक्ति एवं पदच्युत करने के मामले

(5) किसी विशेष सुविधा या रियायत को वापस लेने सम्बन्धी मामले

(vi) औद्योगिक न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल (Sec 7A) (Industrial Tribunal)

औद्योगिक विवाद का निर्णय करने हेतु उपयुक्त सरकार एक या एक से अधिक औद्योगिक ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है। इसमें केवल एक ही व्यक्ति होगा। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या पीठासीन पदाधिकारी के पद तभी नियुक्त होगा जब वह निम्नलिखित योग्यताएँ रखता है—

(a) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो।

(b) कम से कम तीन वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रह चुका हो। उपयुक्त सरकार ट्रिब्यूनल

Scanned with CamScanner

की कार्यवाही में सलाह देने के लिए आवश्यकतानुसार दो न्याय सहायकों (Assessors) की नियुक्ति कर सकती है। ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में अंकित कुछ मुख्य विषय हैं- मजदूरी, भविष्य निधि पेंशन निधि में नियोजक द्वारा दिया जाने वाला अंशदान प्रतिपूरक तथा अन्य भत्ते, कार्य के घंटे एवं अंतराल, सवैतनिक छुट्टी, परम्परागत सुविधाओं की वापसी, अनुशासन, छंटनी करण इत्यादि।

(vii) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunal) (Sec-7B)

राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार एक या एक से अधिक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में केवल एक ही व्यक्ति होगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में सलाह देने के लिए दो न्याय सहायक (Assessors) की नियुक्ति कर सकती है। इसके क्षेत्राधिकार में अधिनियम की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों में वर्णित सभी विषय आते हैं।

(viii) पंचनिर्णय (Arbitration)- (Sec 10A)

औद्योगिक विवाद अधिनियम में पंच निर्णय की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए संघर्ष से सम्बन्धित पक्षकारों को एक लिखित ठहराव करना जरूरी है। ऐसा ठहराव विवाद को न्यायालयों में सन्दर्भित करने के पहले किया जाना चाहिए। पंच निर्णय के अन्तर्गत दोनों पक्षकारों की ओर से बराबर-बराबर संख्या में पंच नियुक्त

Scanned with CamScanner

किए जाते हैं अथवा दोनों पक्ष चाहें तो एक ही पंच नियुक्त कर सकते हैं। पंचों की संख्या एक से अधिक होने पर उनमें एक अधिनिर्णायक (umpire) के रूप में काम करेगा।

पंचनिर्णय, समझौता विहित प्रपत्र में होगा, जिस पर दोनों पक्षकारों एवं सभी पंचों का हस्ताक्षर होगा। समझौता प्रपत्र को सरकार के पास भेज दिया जाता है तथा उसकी प्राप्ति के दिन से 30 दिन के अंदर राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाता है तथा पंचनिर्णय (Arbitration) सम्बन्धित पक्षों पर लागू हो जायेगा। पंचनिर्णय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें अन्य न्यायालय की तुलना में व्यय कम होता है तथा समय की बचत होती है।

—